

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-179/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
10.08.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 820, दिनांक 21.07.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 21.07.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका श्रीमती प्रमिला होरो, पति-रेमी होरो, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.) स्थायी पता ग्राम-तालसेरा, पो०-बिरमित्रपुर, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) एवं वर्तमान पता हाउस नं०-बी०/41, जोन नं०-04, बिरसा नगर, जमशेदपुर, थाना-बिरसा नगर, जिला-पू० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। पंजी-II रैयत प्रस्तावित विक्री की जमीन मौजा-जुगीबेडा, थाना नं०-77, खाता नं०-39, प्लॉट नं०-207, रकवा 0.05 ए०, क्रेता ज्योति बोयपाई, पति-रामराई बोयपाई, ग्राम-मुरहातु (बाई साई), जाति-हो (अ.ज.जा.), पो०-लोटापहाड़, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>आवेदिका/विक्रेता के द्वारा समर्पित शपथ पत्र सं०-13 एम दिनांक 09.08.2018 के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि आवेदिका श्रीमती प्रमिला होरो के द्वारा दिनांक 16.09.2014 में आवासन हेतु क्रय की है। श्रीमती होरो वर्तमान में पंजी-II रैयत है। श्रीमती होरो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी है एवं वर्तमान में पेंशन से अपना गुजर बसर कर रही है। आवेदिका अपने हकीयत के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। विक्रेता के शपथ के अनुसार विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त उनके पैतृक गांव/स्थायी पते पर कृषि योग्य पर्याप्त भूमि है। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>क्रेता ज्योति बोयपाई, पति-रामराई बोयपाई, ग्राम-मुरहातु (बाई साई), जाति-हो (अ.ज.जा.), पो०-लोटापहाड़, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के निवासी है जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधान के तहत चक्रधरपुर थाना अंतर्गत क्रय करने हेतु सुयोग्य व्यक्ति है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने अपने जांच प्रतिवेदन पत्रांक 820 दिनांक 21.07.2018 में सी.एन.टी. की धारा-46 के तहत भूमि विक्रय के अनुमति के लिये अनुशंसा किये हैं।</p> <p>वर्तमान में उक्त प्रस्तावित विक्री की भूमि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदानुसार मूल रूप से अनुसूचित जनजाति खाते के नहीं है। भूमि पर धर सहन होने के कारण कास्तकारी का कार्य नहीं होता है। अतः आवेदिका सह विक्रेता श्रीमती प्रमिला होरो, पति-रेमी होरो, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.) स्थायी पता ग्राम-तालसेरा, पो०-बिरमित्रपुर, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) वर्तमान पता हाउस नं०-बी०/41, जोन नं०-04, बिरसा नगर, जमशेदपुर, थाना-बिरसा नगर, जिला-पू० सिंहभूम को, क्रेता ज्योति बोयपाई, पति-रामराई बोयपाई, ग्राम-मुरहातु (बाई साई), जाति-हो (अ.ज.जा.), पो०-लोटापहाड़, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास मौजा-जुगीबेडा, थाना नं०-77, खाता नं०-39, प्लॉट नं०-207, रकवा 0.05 ए० भूमि नियमानुसार विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p> <p>लेखापित</p> <p><i>[Signature]</i> 10.8.18</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p>	

[Signature]
10.8.18

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर